



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092022-238939
CG-DL-E-20092022-238939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4186]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4186]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का.आ. 4370(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 13.07 से कि.मी.49.381 (अपोजिट पुलिस स्टेशन जत) तक के भूखण्ड पर रास्ते के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०५/०४/२०२२" को "टाईम्स ऑफ इंडिया" और "०९/०४/२०२२" को "दैनिक ललकार" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में NH166E के कि.मी. 13.07 से कि.मी.49.381 (अपोजिट पुलिस स्टेशन जत) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सांगली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जत				
	गांव का नाम: बिरनाळ				
1	579	निजी	कृषक	0.008	विलास शंकर शिंदे (५७९)
	गांव का नाम: रावळगुंडवाडी				
2	81	निजी	कृषक	0.3612	बाबू रत्नाप्पा लोहगांव, महादेव निंगाप्पा लोहगांव, सदाशिव निंगाप्पा लोहगांव, नागम्मा चंद्रकांत पाटील, रुद्रप्पा महादेव लोहगांव, बसवराज सिदगोंडा लोहगांव, सुशिला सिदगोंडा लोहगांव, वैभव बाबुराव लोहगांव, निंगाप्पा सदाशिव लोहगांव, भारती बसवराज लोहगांव, चिंदानंद भरम्माम्ना चौगुले. (८१)
3	88	निजी	कृषक	0.2799	रमेश काडाप्पा हिरगोंड, सुरेश काडाप्पा हिरगोंड, बाळाप्पा काडाप्पा हिरगोंड, सोनाबाई काडाप्पा हिरगोंड, कांताबाई शंकर पाटील, भारती संबोलिंग सांबनी, महादेवी सदगोंडा बिरादार. (८८)
			कुल	0.6491	

[फा. सं. 12037/66/2017-MAH-P6/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4370(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Road Maintenance, management and operation of NH166E on the stretch of land from Km 13.07 to Km 49.381 (Opposite Police Station Jath) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times Of India” dated 05/04/2022 and “Dainik Lalkar” dated 09/04/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH166E in the stretch of land from NH166E (Opposite Police Station Jath) in the district of SANGLI in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: SANGLI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jath				
	Village: Birnal				
1	579	Private	Agriculture	0.008	Vilas Shankar Shinde 579
	Village: Ravalgundwadi				
2	81	Private	Agriculture	0.3612	Babu Ratnappa Lohgao, Mahadev Nnigappa Lohgao, Sadashiv Nnigappa Lohgao, Nagamma Chhandrakant Pail, Rudrawwa Mahadev Lohgao, Basavraj Sidgonda Lohgao, Sushila Sidgonda Lohgao, Vaibhav Baburao Lohgao, Nnigappa Sadashiv Lohgao, Bharti Basawraj Lohgao, Chindanand Bharmmanna Chogule. 81

3	88	Private	Agriculture	0.2799	Ramesh Kadappa Hirgonda, Suresh Kadappa Hirgonda, Balappa Kadappa Hirgonda, Sonabai Kadappa Hirgonda, Kantabai Shankar Patil, Bharti Samboling Sambni, Mahadevi Sadgonda Biradar. 88
			TOTAL	0.6491	

[F. No. 12037/66/2017-MAH-P6/3D2]

RAJESH GUPTA, Director